



छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234
website :- www.cghealthuniv.com

क्रमांक/ 3547 /आयुष/परीक्षा/

रायपुर, दिनांक- 17/07/14

प्रति,

अधिष्ठाता,
स्व: श्री बी.आर.कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर (छ0ग0)

विषय :- एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में 2013 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जानकारी बाबत।


संदर्भ :- संचालक चिकित्सा शिक्षा छ.ग. का पत्र क्र 6118 दिनांक 16/06/2014

-----000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तहत आपको संबोधित कर पत्र लिखा गया है। पत्र के साथ संलग्न सूची में जगदलपुर चिकित्सा महाविद्यालय के तीन छात्रों के विरुद्ध निवास प्रमाण पत्र संचालक स्तर पर जांच हेतु प्रक्रियाधीन है। उन्हें निम्न शर्तों पर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1/ छात्र के विरुद्ध चल रही जांच में दोषी पाये जाने पर छात्र का परीक्षा परिणाम निरस्त माना जावेगा।
- 2/ उक्त परीक्षा/परीक्षा परिणाम घोषित होने के संबंध में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही या अन्य कोई पत्राचार नहीं करेंगे।

अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का मान्य रहेगा।



वे कुलसचिव
दिनांक
10-7-14
17/07/14

पृ.क्रमांक/3548-3549/आयुष/परीक्षा/

रायपुर, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हास्टल, रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनाार्थ प्रेषित।


वे कुलसचिव
दिनांक
10-7-14

वेक साइड एवं इन्फोम लेट



छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

जी.ई. रोड, रायपुर (छ0ग0)
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 0771-2263234
website :- www.cghealthuniv.com

क्रमांक/ 3544 /आयुष/परीक्षा/

रायपुर, दिनांक- 17/07/14

प्रति,

अधिष्ठाता,
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान
सिम्स, बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्ष में 2013 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की जानकारी बाबत।


संदर्भ :- संचालक चिकित्सा शिक्षा छ.ग. का पत्र क्र 6118 दिनांक 16/06/2014

-----000-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तहत आपको संबोधित कर पत्र लिखा गया है। पत्र के साथ संलग्न सूची में बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय (सिम्स) के एक छात्र के विरुद्ध निवास प्रमाण पत्र संचालक स्तर पर जांच हेतु प्रक्रियाधीन है। उन्हें निम्न शर्तों पर परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1/ छात्र के विरुद्ध चल रही जांच में दोषी पाये जाने पर छात्र का परीक्षा परिणाम निरस्त माना जावेगा।
- 2/ उक्त परीक्षा/परीक्षा परिणाम घोषित होने के संबंध में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही या अन्य कोई पत्राचार नहीं करेंगे।

अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का मान्य रहेगा।



Dr. कुलसचिव
16-7-14
17/07/14

पृ.क्रमांक/3545- 3546/आयुष/परीक्षा/

रायपुर, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


Dr. कुलसचिव
16-7-14

वेबसाइट एवं ईमेल-एड्रेस



छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
जी.ई. रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

टेलीफोन/फैक्स नं. - 0771-2263234
website : www.cghealthuniv.com

क्रमांक / 3550 / आयुष / 2014,

रायपुर, दिनांक 17 / 07 / 2014

प्रति,

अधिष्ठाता

छ0ग0 आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि से सम्बद्ध चिकित्सा / दंत चिकित्सा
महाविद्यालय रायपुर (छ0ग0)


विषय :- विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में विद्यार्थियों को शामिल करने विषयक।

—00—

महाविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में कभी-कभी ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिनकी पात्रता (पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु) विवादित होती है तथा विश्वविद्यालय को विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त होती है।

ऐसे विवादित विद्यार्थी यदि परीक्षा में प्रविष्ट होने की पात्रता रखते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निम्न शर्तों के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है—

1. छात्र के विरुद्ध चल रही जांच में दोषी पाये जाने पर छात्र का परीक्षा परिणाम निरस्त माना जावेगा।
2. उक्त परीक्षा/परीक्षा परिणाम घोषित होने के संबंध में किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही या अन्य कोई पत्राचार नहीं करेंगे।
3. अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का मान्य रहेगा।


कुलसचिव
16-7-14

वैव साइब र्वरू मेल हेतु